भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2170

गुरूवार, 18 दिसम्बर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक)

श्रम शक्ति नीति 2025 का कार्यान्वयन

2170. डा. कल्पना सैनी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम शक्ति नीति 2025 लागू होने के बाद कौशल उन्नयन और रोज़गार के अवसरों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) क्रेच सुविधाओं, सुरक्षित कार्यस्थलों, कार्यस्थल पर समान वेतन और लचीले काम के घंटों के माध्यम से महिलाओं की कार्य भागीदारी दर को बढ़ाने के लिए नीति के अंतर्गत क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ईपीएफ, ईएसआई और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिकों के कवरेज का दायरा बढ़ाने के लिए श्रम शक्ति नीति **2025** के तहत कोई नई पहल शुरू की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके लाभार्थियों की वर्तमान संख्या का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने "श्रम शक्ति नीति 2025 - राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति" के मसौदे को एक विस्तृत विज़न दस्तावेज के रूप में तैयार किया है जिसका उद्देश्य कामगारों, जिनमें महिलाएं, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार और स्वरोजगार कामगार शामिल हैं, के लिए एक समावेशी, निष्पक्ष और लचीला पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिससे भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा।

मसौदा नीति में, विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों में, कार्यबल के रोजगार क्षमता से जुड़े कौशल, पुनः कौशल और कौशल संवर्धन को बढ़ावा देकर कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। मसौदा नीति में हरित नौकरियों को बढ़ावा देने, एआई-सक्षम प्रणाली, कम कार्बन उद्योगों में नवाचार और टिकाऊ क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसरों के निर्माण सहित प्रौद्योगिकी आधारित विकास और हरित परिवर्तन मार्गों के माध्यम से रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है।

महिलाओं की कार्य भागीदारी दर में वृद्धि करने के संबंध में, मसौदा नीति में एक सुरक्षित, सहायक और न्यायसंगत कार्य वातावरण बनाने के उद्देश्य से एक बहु-आयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव है। इस नीति में शिक्षु गृह और देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थलों को बढ़ावा देने, समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने और जहां भी संभव हो, घर से काम करने और हाइब्रिड मॉडल सहित लचीली कार्य व्यवस्था को प्रोत्साहित करने जैसे उपायों की परिकल्पना की गई है। इन प्रावधानों का उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सभी क्षेत्रों और जीवन के विभिन्न चरणों में सुविधाजनक बनाना है।

इस नीति में अनौपचारिक क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों और स्व-नियोजित कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने संबंधी परिवर्तन की भी परिकल्पना की गई है।

*****